

अनुसूची 98 2 फारम संख्या 462।

Nanka Masandi
vs
16/ama Rajots.

आदेश - पत्रक

(देखे अभिलेख हस्तक, 9489 का नियम 929)

आदेश पत्रक-ता०.....सेतक।

जिला.....सं०सन्.....

केस का प्रकार.....R.M.A. 33/2016-17.

आदेश की क्रम-संख्या और तारीख १	आदेश और पदाधिकारी की हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित ३
<p><u>23.03.17</u></p>	<p>पुनका भरांडी पिता- स्व० लकलु मंडी ग्राम- कामुनकांधी थाना- फतेहपुर, अनुमंडल एवं जिला- जामताड़ा के द्वारा 16-आमा रैफ मौजा- कामुनकांधी, अनुमंडल पदाधिकारी अ -आमालय जामताड़ा के वाह R.M. 10.4/2011-12 में दिनांक- 16.12.16 को पत्र आदेश के विरुद्ध अपील दायर किया गया है। दिनांक 13.4.17 को खो। <i>(Signature)</i> उपस्थित जामताड़ा।</p>	<p><i>(Signature)</i> उपस्थित जामताड़ा।</p>
<p><u>13.4.17.</u></p>	<p>अपीलकर्ता का लजरी पत्र है। आवेदन कर्ता के अपील आवेदन को युवा/अंचल अधिकारी, फतेहपुर के अध्यक्ष अर्थात् के आदेश में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा वाह को खारिज कर दिया गया है। यह अपील तत्काली आधार पर लिया गया निर्णय है। अनुमंडल पदा, जामताड़ा स्पष्ट प्रतिवेदन, मंतव्य प्राप्त कर</p>	

आदेश की क्रम-संख्या और तारीख १	आदेश और पदाधिकारी की हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित ३
	<p>विधि- सुमत निर्णय ले/ उद्योग खाते को remand किया जाता है।</p> <p>2034 <u>13/04/17</u></p>	<p>DB 17</p> <p>cell-15-4-17</p> <p>Sun 13, 4, 17</p>